17/014

प्रार्थी की ओर से वकील वादी उपस्थित, वकील प्रतिवादी उपस्थित। वकील वादी / वादी को बार-बार समय देकर व्यवहार वाद के स्थायीकरण के लिए उपस्थित समय अधिवक्ता अधिवक्ता नहीं उपस्थित वकील वादी / वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वाद वादिगण अनुपस्थिति अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी पक्षकार से वाद हेतु किसी कुमार होकर दायर किया करार हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.10.28 16:41:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner